कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर

कमांक : 75 दिनांक : 25-9-25

कार्यालय–आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ सरिता यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा आदेश पारित किया जाकर **माह अक्टूबर, 2025** में निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर–1 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन **समस्त जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र के क्षेत्राधिकार** में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य है, को करने हेतु कॉलम नंबर–2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है :–

दिनांक	*नाम न्यायालय*	पीठासीन अधिकारी मोबाईल नम्बर
1	2	3
05–10–2025 रविवार	श्री सुरजीत सिंह, ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., क्रम–3, जयपुर जिला,जयपुर।	8824327838
11–10–2025 द्वितीय शनिवार	श्री सुरजीत सिंह, ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., क्रम–3, जयपुर जिला,जयपुर।	8824327838
12–10–2025 रविवार	श्री सिद्धार्थ भारद्वाज, ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., क्रम–1, जयपुर जिला,जयपुर	8959855960
18–10–2025 दीपावली अवकाश	श्री सिद्धार्थ भारद्वाज, ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., क्रम–1, जयपुर जिला,जयपुर	8959855960
19–10–2025 दीपावली अवकाश	श्रीमती हुमा कोहरी, जे.एम. जयपुर जिला,जयपुर	8003700000
20–10–2025 दीपावली अवकाश	श्रीमती हुमा कोहरी, जे.एम. जयपुर जिला,जयपुर	8003700000
21–10–2025 दीपावली अवकाश	श्रीमती हुमा कोहरी, जे.एम. जयपुर जिला,जयपुर	8003700000
22–10–2025 दीपावली अवकाश	श्रीमती जया अग्रवाल, एसीजेएम (एसपीई कैसेज) जयपुर	9509941750
23–10–2025 दीपावली अवकाश	श्रीमती जया अग्रवाल, एसीजेएम (एसपीई कैसेज) जयपुर	9509941750
25–10–2025 चतुर्थ शनिवार	श्रीमती स्वाति चौधरी, ए.सी.जे.एम–1 जयपुर जिला, जयपुर	8386800148
26.10.2025 रविवार	श्रीमती स्वाति चौधरी, ए.सी.जे.एम–1 जयपुर जिला, जयपुर	8386800148

नोट :–

1. **माह अक्टूबर, 2025** के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।

2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।

3. **जयपुर मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10.00 से 4.00 बजे तक रहेगा।**

4. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई अवकाश घोषित हो जाने पर **श्रीमती स्वाती चौधरी, ए.सी.जे.एम. कम–1, जयपुर जिला, जयपुर उक्त कार्य देखेंगे।** इसके लिये कोई पृथक आदेश नहीं पारित किया जावेगा, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें।

5. **जयपुर मुख्यालय के रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस खुलने वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वो नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस अपने कर्मचारीगण प्रस्तुतकार, फौजदारी लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियत समय पर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् पाबंद करेंगे।**

6. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर अवकाश पर रहने की अवस्था में वे नियमानुसार अपना प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को भिजवाएंगे, तत्पश्चात माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के आदेश कमांक 5062/स्था. दिनांक 04 मई, 2019 की पालना में उनकी ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी। **संबंधित पीठासीन अधिकारी अपनी रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करने बाबत अनावश्यक पत्र व्यवहार ना कर उक्त प्रक्रिया को अपनायेंगे।**

7. विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

8. तारांकित (*) अवकाश यदि कोई हो, तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

sd

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर

कमांक : दिनांक :

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर को आदर सहित ।
2. समस्त श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
4. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर महानगर, जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। **(जरिये E-Mail)**
5. समस्त अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
7. समस्त अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
8. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाईल), कम–2, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
9. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर जिला, जयपुर को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। **(जरिये E-Mail)**
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जयपुर **(जरिये E-Mail)**/नोटिस बोर्ड/आदेश पत्रावली।
11. सिस्टम आफिसर, ई–कोर्ट, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/jaipur पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

Amita
25-09-2025

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर